

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccf-kanker.cg@gov.in



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2019/569

कांकेर, दिनांक/23/ 2/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

**विषय :-** Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for 16th B.N.(L.R.) C.A.F. Head Quarter Establishing Area 12.899 ha. regarding Registration No. FP/CG/Other/34216/2018

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/ 115-741/51 दिनांक 05.01.2019



विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमंडल अंतर्गत सेनानी 16 वी वाहिनी (भा./र.) छ.सं.बल नारायणपुर मुख्यालय हेतु "आऊट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन" स्थापना हेतु प.ह.न.-01 खसरा न. 33 रकबा 8.72 हे. भूमि में से 3.530 हे. एवं ग्राम गरांजी पटवारी हल्का नम्बर 4 खसरा न. 362 रकबा 12.84/5.195 हे. भूमि में से 5.000 हे. एवं खसरा नम्बर 363 रकबा 12.77/5.169 हे. में से 4.369 हे. कुल 12.899 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत तैयार कर आपकी ओर प्रेषित किया गया था, जिसमें आपके संदर्भित पत्र के माध्यम बिन्दु क्रमांक 01 से 09 तक की कमियों पाई गई थी, जिसकी पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक/मा.चि./1048 दिनांक 22.02.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | उठाई गई आपत्तियाँ                                                                                                                                                                                         | निराकरण                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | कलेक्टर कार्यालय FRA Certificate द्वारा अपलोड नहीं किया गया है।                                                                                                                                           | FRA Certificate अपलोड किया गया है।                                         |
| 2    | वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में वनमंडल अंतर्गत विदोहन होने वाले वृक्षों की संख्या 511 दर्शित है, परन्तु ऑनलाईन फार्म ए पार्ट-2 में वृक्षों की संख्या 506 प्रदर्शित है। ऑनलाईन सुधार की आवश्यक है। | ऑनलाईन में सुधार कर 511 वृक्षों की संख्या दर्शित किया गया है।              |
| 3    | प्रस्तावित क्षेत्र में किये जाने वाले कार्य का ले आऊट प्लान संलग्न नहीं है और न ही अपलोड किया गया है।                                                                                                     | प्रस्तावित क्षेत्र का ले-आऊट प्लान संलग्न है एवं ऑनलाईन अपलोड किया गया है। |
| 4    | वैकल्पिक वृक्षारोपण फाईल पर क्षेत्र 25.798 हे. पी./2359 (O.A.) में घनत्व अधिक एवं छोटे से भाग में अतिक्रमण दर्शित हो रहा है। परीक्षण करते हुए वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता बतावें।                           | निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है।                                            |
| 5    | वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।                                                                                                                          | ऑनलाईन अपलोड किया गया है।                                                  |

|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | फार्म ए पार्ट-2 के कॉलम नं. 16 वनमंडलाधिकारी का <b>Recommendation Form-A, part-II</b> अपलोड नहीं किया गया है।                               | फार्म ए पार्ट-2 के कॉलम नं. 16 वनमंडलाधिकारी का <b>Recommendation Form-A, part-II</b> अपलोड के स्थान में त्रुटिवंश वनमंडलाधिकारी का कवरिंग मेंमो को अपलोड किये जाने के संबंध में सुधार करने हेतु कार्या. क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/3348 दि. 27.12.2018 आपको निवेदन किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। |
| 7 | वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित वैकल्पिक वृक्षारोपण के <b>Geo-referenced Map</b> एवं <b>Survey of India Toposheet</b> अपलोड नहीं किया गया है। | ऑनलाईन अपलोड किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | गैर वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी 3 विकल्पों का तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जावे।                                               | तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 | भाग-II , प्रपत्र-3 एवं भाग-III में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जावे।                                                      | भाग-II , प्रपत्र-3 एवं भाग-III में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया गया है।                                                                                                                                                                                                                 |

अतः प्रकरण का प्रस्ताव एवं प्रभावित भूमि का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में अनुशंसा सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- 01. प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में।

02. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में।

  
मुख्य वन संरक्षक 23/02/19  
कांकेर वृत्त, कांकेर  
कांकेर, दिनांक 23/02/2018

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2018/570

प्रतिलिपि :-

- वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1048 दिनांक 22.02.2018 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- कार्यालय, सेनानी, 16 वी वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
मुख्य वन संरक्षक 23/02/19  
कांकेर वृत्त, कांकेर